



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-20112020-223204
CG-GJ-E-20112020-223204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/कार्तिक 29, 1942

No. 512]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गाँधीनगर, 18 नवम्बर, 2020

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020

आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु004.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में बैंककारी और विनिधान क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "बैंककारी यूनिट" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसी कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञप्त है;

(घ) "विदेशी बैंक" से भारत के बाहर निगमित या स्थापित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है;

(ङ) "विदेशी बैंक यूनिट" से किसी विदेशी बैंक द्वारा स्थापित कोई बैंककारी यूनिट अभिप्रेत है;

(च) "भारतीय बैंक" से किसी अधिनियम के अधीन निगमित या स्थापित कोई बैंक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भारत में निगमित किसी विदेशी बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भी है किन्तु इसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक नहीं है;

(छ) "भारतीय बैंक यूनिट" से किसी भारतीय बैंक द्वारा स्थापित कोई बैंककारी यूनिट अभिप्रेत है;

(ज) "आई.एन.आर." से भारतीय मुद्रा अभिप्रेत है जिसे भारतीय रुपए कहा जाता है;

(झ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है;

(ञ) "मूल बैंक" से, यथास्थिति, उप-विनियम (घ) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसा विदेशी बैंक या उप-विनियम (च) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसा भारतीय बैंक या दोनों अभिप्रेत हैं, जिसका आशय कोई बैंककारी यूनिट स्थापित करना है या जिसने कोई बैंककारी यूनिट स्थापित किया है;

(ट) "अर्हित व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति है, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल संपत्ति दस लाख यू.एस.डी. या उसके समतुल्य से कम नहीं है, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ठ) "अर्हित निवासी व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में निवासी व्यक्ति है, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल संपत्ति दस लाख यू.एस.डी. या उसके समतुल्य से कम नहीं है, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ड) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(ढ) "प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;

(ण) "स्टॉक एक्सचेंज" से प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(त) "यू.एस.डी." से अमेरिकी डॉलर अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या यथास्थिति, उनके किसी कानूनी उपांतरण या पुनर्अधिनियमित में उनके हैं।

अध्याय 2

बैंककारी यूनिट की स्थापना

3. बैंककारी यूनिट स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षा

(1) भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई बैंककारी यूनिट स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति की अपेक्षा होगी।

(2) आवेदन, मूल बैंक द्वारा उस प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(3) आवेदक, प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा:

(क) मूल बैंक अपने बैंककारी यूनिट को प्रचालन आरंभ करने के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम 2 करोड़ अमरीकी डालर या ऐसी अन्य रकम की, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, या किसी विदेशी मुद्रा में समतुल्य रकम की पूंजी उपलब्ध कराएगा जिसे सभी समयों पर अविकल आधार पर बनाए रखा जाएगा;

(ख) मूल बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बैंककारी यूनिट की स्थापना करने के संबंध में अपने गृह विनियामक से अनापत्ति पत्र अभिप्रास करेगा;

(ग) मूल बैंक इस संबंध में एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जब कभी बैंककारी यूनिट के प्रचालनों के लिए आवश्यक हो, वह अपने बैंककारी यूनिट को नकदी उपलब्ध कराएगा।

(4) किसी ऐसे विदेशी बैंक से, जिसकी भारत में उपस्थिति नहीं है, आवेदनों की दशा में, प्राधिकरण उप-विनियम 3(ख) और 3(ग) में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, एक उपयुक्त प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) प्राधिकरण, बैंककारी यूनिट की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इन विनियमों में उपबंधित हैं या ऐसी अन्य अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

(6) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जा सकती है तो वह आवेदक को, उन आधारों को उपवर्णित करते हुए जिनके आधार पर वह अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं कर सकता है, आवेदक को लिखित निवेदन, यदि कोई हैं, करने में समर्थ बनाने के लिए तीस दिन का समय दे सकेगा।

(7) यदि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को उप-विनियम (6) के अधीन किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण का समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को तीस दिन के भीतर कारणों सहित लिखित में संसूचित करेगा।

(8) प्रत्येक मूल बैंक को, उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में शाखा के रूप में केवल एक बैंककारी यूनिट स्थापित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(9) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, एक उपयुक्त प्रक्रिया के अधीन प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

अध्याय 3

विवेकपूर्ण विनियमनकारी अपेक्षाएं

4. साधारण विवेकपूर्ण अपेक्षाएं

(1) बैंककारी यूनिट उन मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

(2) बैंककारी यूनिट, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए यथा-लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करते रहेंगे।

5. नकदी अनुपात

(1) बैंककारी यूनिट नकदी कवरेज अनुपात बनाए रखेगा:

परन्तु प्राधिकरण की अनुज्ञा से, नकदी कवरेज अनुपात मूल बैंक द्वारा बनाए रखा जा सकेगा।

(2) किसी बैंककारी यूनिट को, जब भी प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात लागू किया जाएगा और उसे बैंककारी यूनिट द्वारा बनाए रखा जाएगा:

परन्तु प्राधिकरण की अनुज्ञा से, शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात मूल बैंक द्वारा बनाए रखा जा सकेगा।

6. बैंककारी यूनिटों द्वारा लीवरेज अनुपात बनाए रखना

बैंककारी यूनिट लीवरेज अनुपात से संबंधित उन मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

7. एक्सपोजर की अधिकतम सीमा

कोई बैंककारी यूनिट, एकल उधारकर्ता की दशा में मूल बैंक की टियर 1 पूंजी के पांच प्रतिशत तक और किसी उधारकर्ता समूह की दशा में मूल बैंक की टियर 1 पूंजी के दस प्रतिशत तक के एक्सपोजर की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

8. आरक्षित अपेक्षाएं

किसी बैंककारी यूनिट के दायित्व, अर्हित व्यष्टियों और अर्हित निवासी व्यष्टियों से जुटाए गए निक्षेपों से भिन्न, नकद आरक्षित अनुपात या अन्य ऐसी अपेक्षाओं से छूटप्राप्त होंगे। अर्हित व्यष्टियों और अर्हित निवासी व्यष्टियों से जुटाए गए निक्षेप ऐसे आरक्षित अनुपातों के अधीन होंगे जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

9. अंतिम उपाय का उधारदाता

किसी बैंककारी यूनिट को अंतिम उपाय के उधारदाता की सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

अध्याय 4

अनुज्ञेय क्रियाकलाप

10. कारबार के संचालन के लिए मुद्रा

कोई बैंककारी यूनिट निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं में ऐसे कारबार का संचालन और ऐसे व्यक्तियों के साथ करेगा, चाहे वे निवासी हों या अन्यथा, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

परन्तु किसी बैंककारी यूनिट को ऐसे कारबार का संचालन ऐसे व्यक्तियों के साथ, चाहे वे निवासी हों या अन्यथा, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, ऐसे कारबार के संबंध में निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में वित्तीय संव्यवहार के परिनिर्धारण के अधीन रहते हुए भारतीय रूपयों में करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

11. विदेशी मुद्रा खाता

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों को किसी बैंककारी यूनिट में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, धारित करने और बनाए रखने के लिए अनुज्ञात किया जाता है:

(क) अर्हित व्यष्टि;

(ख) भारत के बाहर निवासी ऐसे व्यक्ति, जो कारपोरेट या संस्थागत इकाइयां हैं, उस रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे;

(ग) भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति, जो कारपोरेट या संस्थागत इकाइयां हैं, ऐसी अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे;

(घ) उप-विनियम (2) के अधीन रहते हुए, अर्हित निवासी व्यष्टि।

(2) अर्हित निवासी व्यष्टियों को, किसी अनुज्ञेय चालू या पूंजीगत लेखा संव्यवहार या दोनों के संयोजन से, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, संसक्त या उनसे उद्भूत होने वाले संव्यवहार करने के लिए किसी बैंककारी यूनिट में किसी निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में खाता खोलने, धारित करने या बनाए रखने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा खातों के माध्यम से संव्यवहार

(1) विदेशी मुद्रा खातों में नकद संव्यवहार अनुज्ञात नहीं होंगे।

(2) किसी बैंककारी यूनिट में, निर्बाध संपरिवर्तनीय किसी विदेशी मुद्रा में कोई खाता, ऐसे मामलों में जहां खाता धारक कोई व्यक्ति है, चालू या बचत या आवधिक निक्षेप के रूप में और अन्य सभी मामलों में चालू या आवधिक निक्षेप के रूप में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, खोला, धारित और बनाए रखा जा सकेगा।

13. अनुज्ञात क्रियाकलाप

कोई बैंककारी यूनिट, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों या ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकेगा, जिसके अंतर्गत डिजाइन, निष्पादन और जोखिम प्रबंधन से संबंधित विषय भी हैं:

(1) ऋणों, व्यापार वित्तपोषण और स्वीकृतियों, वचनबद्धताओं और गारंटियों के रूप में उधार देना, उधार वृद्धि, उधार बीमा और पोर्टफोलियों का विक्रय और क्रय करना;

(2) अंतर-बैंक उधार लेना और उधार देना;

(3) विनिधान करना, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों या ऐसे अन्य लिखतों में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, मालिक या अभिकर्ता के रूप में अंशदान करना, उनका अर्जन. धारण, वचनबंध या अंतरण करना भी है।

(4) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, विदेशी मुद्रा में पोत-लदान पश्चात् निर्यात प्रत्यय को विस्तारित करना या निर्यात प्राप्य वस्तुओं के लेनदारी क्रय और विक्रय में आलिस होना।

(5) उपकरण को पट्टे पर देना, जिसके अंतर्गत वायुयान पट्टाकरण भी है;

(6) व्युत्पन्न संव्यवहारों में भाग लेना:

(क) अपनी आस्ति दायित्व प्रबंधन अपेक्षाओं के लिए असूचीबद्ध व्युत्पन्न संविदाएं करना;

(ख) स्वयं अपने लेखे के लिए या अपने कारपोरेट या अर्हित व्यक्ति ग्राहकों के लिए असूचीबद्ध व्युत्पन्न संविदाएं करना;

(ग) किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ब्याज दर और मुद्रा व्युत्पन्न में भारतीय रुपयों में ऐसे संव्यवहार करना जिसका परिनिर्धारण विदेशी मुद्रा में हो;

(घ) अपने स्वर्ण विनिधानों की बचाव-व्यवस्था के लिए स्वर्ण में व्युत्पन्न या अग्रिम संविदाएं करना;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को, जो भारत के बाहर निवासी हैं और भारत में ऐसे बैंकों को, जिनकी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में उपस्थिति है, ऐसी अपरिदेय मुद्रा संविदाओं की प्रस्थापना करना, जिनमें भारतीय रुपए या अन्यथा अंतर्वलित हैं;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ, अपरिदेय अग्रिम संविदा से पूर्व में करार विनिमय दर और परिपक्वता पर वास्तविक हाजिर दर के बीच अंतर के लिए कोई ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसमें हाजिर दर को घरेलू दर या बाजार अवधारित दर माना जाता है और ऐसी संविदा किसी विदेशी मुद्रा में एकल संदाय द्वारा परिनिर्धारित की जाती है।

(7) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में प्रचालन करना;

(क) यदि किसी बैंककारी यूनिट का मूल बैंक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो ऐसा बैंककारी यूनिट, प्राधिकरण की ओर से किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण संबन्धी अपेक्षा के बिना किन्तु प्राधिकरण के समक्ष उस प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, एक सूचना फाइल करने के अधीन रहते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में क्रियाकलाप चला सकेगा;

(ख) यदि किसी बैंककारी यूनिट का मूल बैंक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ऐसा बैंककारी यूनिट, प्राधिकरण से उस प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में क्रियाकलाप चला सकेगा;

(ग) ऐसा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, विदेशी निवेशकों के आदेशों के मार्ग-निर्धारण के लिए पृथक् नामनिर्देशिती खाता ढांचे की प्रस्थापना कर सकेगा;

(8) ब्याज दर या मुद्रा व्युत्पादों में व्यापार के लिए व्यापार सदस्य के रूप में या किसी व्युत्पन्न क्षेत्र में निकासी और परिनिर्धारण के लिए व्यावसायिक निकासी सदस्य के रूप में कृत्य करना ।

अध्याय 5

अपने ग्राहक को जानिए और धनशोधन-रोधी

14. किसी बैंककारी यूनिट को लागू अपने ग्राहक को जानने संबंधी और धनशोधन-रोधी उपाय

बैंककारी यूनिट, जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया है, अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों, आतंकवाद का वित्तपोषण करने का विरोध करने और अन्य धनशोधन-रोधी अपेक्षाओं का अनुसरण करेगा, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं भी हैं ।

अध्याय 6

प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं

15. रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं

(1) बैंककारी यूनिट के लिए प्राधिकरण को समय-समय पर और ऐसी रीति और प्ररूप में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अपने प्रचालनों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

(2) बैंककारी यूनिट, जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्राधिकरण को रिपोर्टें अमरीकी डालर में प्रस्तुत करेगा ।

16. लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ रखना

कोई बैंककारी यूनिट अपनी लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ ऐसी निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में रखेगा, जैसी कि विनियम 3 के अधीन आवेदन करते समय घोषणा की जाए ।

17. लेखा रखना

(1) बैंककारी यूनिट को अपने प्रशासनिक और कानूनी व्ययों को चुकाने के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में से भारतीय रुपयों में एक खाता रखने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) बैंककारी यूनिट तत्स्थानी बैंक में पृथक् नोस्ट्रो खाते रखेगा, जो भारत में उसी मूल बैंक की अन्य शाखाओं द्वारा खे गए नोस्ट्रो खातों से सुभिन्न होंगे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

18. निक्षेप बीमा

किसी बैंककारी यूनिट के निक्षेपों के लिए कोई केन्द्रीयकृत निक्षेप बीमा स्कीम नहीं होगी ।

19. नेटिंग व्यवस्था

कोई बैंककारी यूनिट, किसी वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, बाजार एक्सपोज़र का चिह्न प्रतिबिंबित करने के लिए गैर-केन्द्रीयकृत समाशोधित असूचीबद्ध मुद्रा, ब्याज दर, उधार और वस्तु व्युत्पाद संविदाओं के लिए किसी प्रति-पक्षकार बैंककारी यूनिट या विदेशी विनियमित इकाई के साथ किसी निर्बाध संपरिवर्तनीय मुद्रा या अनुज्ञेय सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और सावरेन में मार्जिन का विनिमय कर सकेगा ।

20. प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

प्राधिकरण, इन विनियमों के कार्यान्वयन और उनसे आनुषंगिक विषयों के प्रयोजनों के लिए या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बैंककारी और विनिधान क्रियाकलापों से संबंधित वित्तीय सेवाओं को सुकर बनाने और उन्हें विनियमित करने के लिए, दिशानिर्देशों या परिपत्रों द्वारा मानक, प्रक्रियाएं, प्रक्रमण, रीतियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा या शिथिलताओं का उपबंध कर सकेगा।

21. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

(1) यदि मूल बैंक आवेदक या बैंककारी यूनिट उन शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है जिनके अधीन विनियम 3 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, तो प्राधिकरण बैंककारी यूनिट को अपने निवेदन, यदि कोई हैं, करने के लिए तीस दिन का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को प्रत्याहृत कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, उपर्युक्त बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जो वह अधिनियम के अधीन उचित समझे।

22. अधिक्रमण और व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों के प्रारंभ से रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आई.बी.आई./2014-2015/533 डीओआर. आईबीडी. बीसी.14570/23.13.04/2014-15 तारीख 1 अप्रैल, 2015 के उपबंध अब लागू नहीं होंगे।

(2) उपर्युक्त बातों के होते हुए भी, उप-विनियम (1) में उल्लिखित परिपत्र की बाबत की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

(3) ऐसा बैंककारी यूनिट, जो इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में प्रचालनाधीन है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, इन विनियमों में पुरःस्थापित अतिरिक्त अपेक्षाओं का, यदि कोई हैं, अनुपालन करेगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./371/2020]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 18th November, 2020

International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020

IFSCA/2020-21/GN/REG004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations for banking and investment activities in the International Financial Services Centres, namely: -

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
 - (c) “Banking Unit” means a financial institution under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act that is licensed by the Authority to undertake permissible activities under these regulations;

- (d) “Foreign Bank” means a banking company incorporated or established outside India;
 - (e) “Foreign Bank Unit” means a Banking Unit set up by a Foreign Bank;
 - (f) “Indian Bank” means any bank incorporated or established under any Act, and includes a wholly owned subsidiary of a foreign bank incorporated in India, but does not include a co-operative bank;
 - (g) “Indian Bank Unit” means a Banking Unit set up by an Indian Bank;
 - (h) “INR” means the Indian currency called the Indian Rupee;
 - (i) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it under section clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
 - (j) “Parent Bank” means a Foreign Bank as defined under sub-regulation (d) or an Indian Bank as defined under sub-regulation (f), or both, as the case may be, that intends to, or has set up a Banking Unit;
 - (k) “Qualified Individual” means an individual who is a person resident outside India having net worth not less than USD 1 Million or equivalent in the preceding financial year, which may be determined in such manner as specified by the Authority;
 - (l) “Qualified Resident Individual” means an individual who is a person resident in India having net worth not less than USD 1 Million or equivalent in the preceding financial year, which may be determined in such manner as specified by the Authority;
 - (m) “Reserve Bank” means Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
 - (n) “Securities and Exchange Board” means Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (o) “Stock Exchange” means a stock-exchange recognised by the Authority;
 - (p) “USD” means United States Dollar.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

SETTING UP OF A BANKING UNIT

3. Requirement of licence to set up a Banking Unit

- (1) Indian Banks and Foreign Banks shall require licence from the Authority to set up a Banking Unit in an International Financial Services Centre.
- (2) An application shall be made by the Parent Bank in the form and manner as specified by the Authority.
- (3) The applicant shall satisfy the following requirements for grant of licence by the Authority:
 - (a) Parent Bank shall provide a minimum capital of USD 20 million or such other amount as may be specified by the Authority, or equivalent in any foreign currency to its Banking Unit, for the purposes of starting operations, that shall be maintained on unimpaired basis, at all times;
 - (b) Parent Bank shall obtain a No Objection Letter from its home regulator regarding setting up of the Banking Unit in the International Financial Services Centre;
 - (c) Parent Bank shall submit an undertaking that it shall provide liquidity to its BU whenever needed for the operations of the BU.
- (4) In case of applications from a Foreign Bank not having presence in India, the Authority shall specify a suitable mechanism, in addition to the conditions mentioned in sub regulations 3(b) and 3 (c).
- (5) After considering an application for setting up a Banking Unit, the Authority may grant licence to the applicant subject to such conditions as provided under these regulations or such other additional conditions as it may deem fit.

- (6) If the Authority is of the opinion that licence cannot be granted, it may give thirty days' time to the applicant, setting out the grounds based on which it cannot grant licence, to enable the applicant to make written submissions, if any.
- (7) After considering the submissions under sub-regulation (6) made by the applicant to the Authority, if the Authority is not satisfied, it may reject the application and shall communicate the same to the applicant in writing with reasons, not later than thirty days.
- (8) Every Parent Bank under sub-regulation (1) shall be permitted to establish only one Banking Unit in each International Financial Services Centre, as a branch.
- (9) Representative Offices shall be allowed to be set up in IFSC, under a suitable mechanism, subject to such conditions as may be specified by the Authority.

CHAPTER III

PRUDENTIAL REGULATORY REQUIREMENTS

4. General prudential requirements

- (1) Banking Units shall adhere to the norms and guidelines as may be prescribed by the Authority, from time to time.
- (2) Banking Units shall continue to comply with the directions and instructions issued by the Reserve Bank of India as applicable for IFSC Banking Units, unless otherwise specified by the Authority.

5. Liquidity ratios

- (1) A Banking Unit shall maintain the Liquidity Coverage Ratio;

Provided that with the Authority's permission, the Liquidity Coverage Ratio may be maintained by the Parent Bank.

- (2) Net Stable Funding Ratio shall be made applicable to a Banking Unit as and when determined by the Authority and shall be maintained by a Banking Unit;

Provided that with the Authority's permission, the Net Stable Funding Ratio may be maintained by the Parent Bank.

6. Maintenance of Leverage Ratio by Banking Units

Banking Unit shall adhere to the norms and guidelines relating to leverage ratio as may be specified by the Authority, from time to time.

7. Exposure ceiling

A Banking Unit shall be subject to an exposure ceiling of five percent of the Parent Bank's Tier 1 capital in case of a single borrower, and ten percent of Parent Bank's Tier 1 capital in the case of a borrower group.

8. Reserve requirements

The liabilities of a Banking Unit, other than the deposits raised from Qualified Individuals and Qualified Resident Individuals, shall be exempt from Cash Reserve Ratio or other such requirements. The deposits raised from Qualified Individuals and Qualified Resident Individuals shall be subject to such reserve ratios as may be specified by the Authority.

9. Lender of Last Resort

Lender of Last Resort support shall not be available to a Banking Unit.

CHAPTER IV

PERMISSIBLE ACTIVITIES

10. Currency for conducting business

A Banking Unit shall conduct such business in freely convertible foreign currencies and with such persons, whether resident or otherwise, as may be specified by the Authority.

Provided that a Banking Unit may be permitted to conduct such business in INR with such persons, whether resident or otherwise, as may be specified by the Authority, subject to settlement of the financial transaction in relation to such business in freely convertible foreign currency.

11. Foreign currency accounts

- (1) The following persons are permitted to open, hold and maintain foreign currency accounts with a Banking Unit:
 - (a) Qualified Individuals;
 - (b) Persons resident outside India who are corporate or institutional entities, in the manner as may be specified by the Authority;
 - (c) Persons resident in India, who are corporate or institutional entities, subject to such requirements as may be specified by the Authority;
 - (d) Subject to sub-regulation (2), Qualified Resident Individuals
- (2) Qualified Resident Individuals are permitted to open, hold and maintain accounts in a freely convertible foreign currency, with a Banking Unit, for undertaking transactions connected with or arising from any permissible current or capital account transaction or a combination of both as specified in the Liberalised Remittance Scheme of the Reserve Bank of India.

12. Transactions through foreign currency accounts

- (1) Cash transactions in foreign currency accounts shall not be permitted.
- (2) An account in a freely convertible foreign currency may be opened, held and maintained with a Banking Unit in the form of current or savings or term deposit in cases where the account holder is an individual, and in the form of current or term deposit in all other cases, subject to such conditions as may be specified by the Authority.

13. Permitted activities

A Banking Unit may undertake the following activities, subject to compliance with such terms and conditions or guidelines as may be specified by the Authority, including matters relating to design, execution and risk management:

- (1) Lend in the form of loans, trade finances and acceptances, commitments and guarantees, carry out credit enhancement, credit insurance, and sale and purchase of portfolios;
- (2) Undertake inter-bank borrowings and lending;
- (3) Undertake investments, including subscribing, acquiring, holding, underwriting or transferring securities or such other instruments, as may be specified by the Authority, as principal or agent.
- (4) Extend Post-Shipment Export Credit in foreign currency, or engage in factoring and forfaiting of export receivables, subject to the guidelines specified by the Authority
- (5) Undertake equipment leasing, including aircraft leasing;
- (6) Participate in derivative transactions:
 - (a) enter into over the counter derivative contracts for its asset liability management requirements;
 - (b) undertake over the counter derivative contracts for its own account or for its corporate or Qualified Individual clients;
 - (c) transact in Interest Rate and Currency Derivatives in INR, with settlement in foreign currency, listed on a Stock Exchange;
 - (d) undertake derivative or forward contracts in gold for hedging its gold investments;
 - (e) offer non-deliverable currency contracts involving INR, or otherwise, to persons resident outside India and Banks in India having presence in the International Financial Services Centre.

Explanation: For the purpose of this clause, non-deliverable forward contract means a contract for the difference between an exchange rate agreed before and the actual spot rate at maturity, with the spot rate being taken as the domestic rate or a market determined rate and such contract being settled with a single payment in a foreign currency.

- (7) Operate as a Foreign Portfolio Investor:
 - (a) If the Parent Bank of a Banking Unit is registered with Securities and Exchange Board as a Foreign Portfolio Investor, such Banking Unit may carry on activities as a Foreign Portfolio Investor in the IFSC without any separate registration requirement from the Authority but subject to filing an

intimation with the Authority in the form and manner as specified by the Authority;

- (b) If the Parent Bank of a Banking Unit is not registered with Securities and Exchange Board, such Banking Unit may carry on activities as a Foreign Portfolio Investor in IFSC after obtaining registration from the Authority in the form and manner as specified by the Authority;
 - (c) Such Foreign Portfolio Investor may offer Segregated Nominee Account Structure for routing orders of foreign investors;
- (8) Function as a trading member for trading in interest rate or currency derivatives or as a professional clearing member for clearing and settlements in any derivative segment.

CHAPTER V

Know Your Customer and Anti-Money Laundering

14. Know Your Customer and Anti-Money Laundering measures applicable to a Banking unit

A Banking Unit shall follow Know Your Customer norms, combating of financing of terrorism and other anti-money laundering requirements, including reporting requirements issued by the Reserve Bank from time to time, unless otherwise specified by the Authority.

CHAPTER VI OPERATIONAL REQUIREMENTS

15. Reporting requirements

- (1) A Banking Unit shall be required to furnish information relating to their operations to the Authority, from time to time, and in such manner and form, as may be specified by the Authority.
- (2) A Banking Unit shall submit reports to the Authority in US Dollar, unless otherwise specified by the Authority.

16. Maintenance of books of accounts, records and documents

A Banking Unit shall maintain its books of accounts, records and documents in such freely convertible foreign currency, as may be declared at the time of making an application under Regulation 3.

17. Maintenance of accounts

- (1) A Banking Unit shall be permitted to have an INR account out of the freely convertible foreign currency to defray their administrative and statutory expenses, and for such other purposes as may be specified by the Authority.
- (2) A Banking Unit shall maintain separate nostro accounts with correspondent banks, distinct from nostro accounts maintained by other branches of the same Parent Bank in India.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

18. Deposit insurance

There shall be no centralised deposit insurance scheme for deposits of a Banking Unit.

19. Netting Arrangement

A Banking Unit may exchange margins in a freely convertible currency or permissible listed debt securities and sovereigns with a counter party Banking Unit or overseas regulated entity for non-centrally cleared over the counter currency, interest rate, credit and commodity derivative contracts to reflect mark to market exposure under a legally enforceable netting arrangement as may be specified by the Authority.

20. Power to specify procedures and issue clarifications

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, or in order to facilitate and regulate financial services relating to banking and investment activities in an International Financial Services Centre, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners or provide relaxations, by way of guidelines or circulars.

21. Action in case of default

- (1) If the Parent Bank applicant or the Banking Unit fail to fulfil the conditions subject to which the licence under Regulation 3 has been granted, the Authority may withdraw the licence, after giving an opportunity of thirty days to the Banking Unit to make its submissions, if any.
- (2) Without prejudice to the above, the Authority may take any other action as it deems fit, under the Act.

22. Supersession and saving

- (1) On and from the commencement of these regulations, the provisions of the Reserve Bank Circular No. RBI/2014-2015/533 DOR.IBD.BC.14570/23.13.04/2014-15 dated 1 April 2015, shall no longer be applicable.
- (2) Notwithstanding the above, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the circular mentioned in sub-regulation (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.
- (3) A Banking Unit operating in the International Financial Services Centre prior to the notification of these regulations, shall comply with additional requirements, if any, introduced by these regulations, within a period of three months from the date of notification of these regulations or within such extended time as may be specified by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT. III/4/Exty./371/2020]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-01042021-226300
CG-GJ-E-01042021-226300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 134]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 मार्च, 2021

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन.रेग्यु009.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में बैंककारी और विनिधान क्रियाकलापों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 13 में, उप-विनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
“(9) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की प्रस्थापना करना।

(10) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को निवेश सलाहकारी सेवाओं की प्रस्थापना करना।”

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./572/2020-21]

टिप्पण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(बैंककारी) विनियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु.004 द्वारा तारीख 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 25th March, 2021

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BANKING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

IFSCA/2020-21/GN/REG009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the, International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, for banking and investment activities in the International Financial Services Centres, namely: -

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 13, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

“(9) offering Portfolio Management services to person resident in India and persons resident outside India.

(10) Offering Investment Advisory services to person resident in India and persons resident outside India”

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./572/2020-21]

Note : The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 on 20th November, 2020.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-01072022-236943
CG-GJ-E-01072022-236943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]
No. 332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASADHA 9, 1944

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 29 जून, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी)(संशोधन) विनियम, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2022-23/जी.एन./रेग्यु025.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 (जिन्हें इसमें से पश्चात् मूल विनियम कहा गया है, के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(ग) “बैंककारी यूनिट” या “आई.एफ.एस.सी. बैंककारी यूनिट” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञप्त है;”
- मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(घक) “वैश्विक (ग्लोबल) प्रशासनिक कार्यालय” या “जी.ए.ओ.” से उसके मूल बैंक द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई एक या अधिक क्रियाकलाप करने के लिए आई.एफ.एस.सी. में स्थापित कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) मूल बैंक या आई.एफ.एस.सी. में या आई.एफ.एस.सी. के बाहर किसी भी समूह इकाई के प्रचालनों का प्रबंध, प्रशासन या समन्वय करना;

(ii) मूल बैंक या किसी समूह इकाई को, आई.एफ.एस.सी. में या आई.एफ.एस.सी. के बाहर अनुज्ञात क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना ।

परन्तु आई.एफ.एस.सी. के बाहर किसी अधिकार-क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप, उक्त अधिकार-क्षेत्र में सुसंगत विनियामक के निदेशों और अनुदेशों के अधीन होंगे ।

“(घख) “समूह इकाई” से ऐसी कोई नियंत्रि कंपनी, सहायक कंपनी, शाखा या कोई अन्य इकाई, चाहे वे किसी भी विधिक रूप में हो, अभिप्रेत है, जिसके माध्यम से मूल बैंक अपने प्रचालन या अनुज्ञात क्रियाकलाप करता है ।”

4. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) “मूल बैंक” से, उप-विनियम (घ) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसा विदेशी बैंक या उप-विनियम (च) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसा भारतीय बैंक या दोनों अभिप्रेत हैं, जिसका आशय कोई बैंककारी यूनिट या प्रतिनिधि कार्यालय या क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करना है या जिसने कोई बैंककारी यूनिट या प्रतिनिधि कार्यालय या क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किया है;”

5. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ठक) “प्रतिनिधि कार्यालय” या “आर.ओ.” से उसके मूल बैंक द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई एक या अधिक क्रियाकलाप करने के लिए, आई.एफ.एस.सी. में स्थापित की गई कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) वित्तीय उत्पादों का विपणन करना;

(ii) डाटा का संग्रहण करना;

(iii) पहुंच से परे प्रचालनों को क्रियान्वित करना ।”

6. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(णक) “सहायता सेवाओं” से, अनुज्ञात क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अपेक्षित अनुषंगी क्रियाकलाप और प्रक्रमण अभिप्रेत हैं ।”

7. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप-विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(9) कोई मूल बैंक, आई.एफ.एस.सी. में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, एक उपयुक्त प्रक्रिया के अधीन अपना प्रतिनिधि कार्यालय या वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।”

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III.4/असा./152/2022-23]

टिप्पण:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन.रेग्यु004 द्वारा तारीख 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. सी.जी.एम.एच.-ई-12052021-226980

द्वारा तारीख 12 मई, 2021 को प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण के शुद्धिपत्र के साथ पढा जाना है;

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन. रियु009 द्वारा तारीख 25 मार्च, 2021 को प्रकाशित किए गए थे; और
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन.रियु013 द्वारा तारीख 5 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 29th June, 2022

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BANKING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

IFSCA/2022-23/GN/REG025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations further to amend the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, namely: -

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted with the following, namely,—
“(c) “Banking Unit” or “IFSC Banking Unit” means a financial institution under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act that is licensed by the Authority to undertake permissible activities under these regulations;”
3. In the Principal Regulations, after clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clauses shall be inserted, namely,—
“(da) “Global Administrative Office” or “GAO” means a financial institution set up by its Parent Bank in IFSC for undertaking any one or more of the following activities, namely:
(i) managing, administering, or coordinating operations of the Parent Bank or any of the Group entities either in IFSC or outside IFSC;
(ii) providing support services to Parent Bank or any of the Group entities for execution of the permitted activities either in IFSC or outside IFSC

Provided that the activities pertaining to a jurisdiction outside IFSC shall be subject to the directions and instructions of the relevant regulator in the said jurisdiction.

“(db) “Group entities” means any holding company, subsidiaries, branches or any other entity, in whatever legal form, through which the Parent bank undertakes its operations or permitted activities.

4. In the Principal Regulations, clause (j) of sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted with the following, namely,—
“(j) “Parent Bank” means a Foreign Bank as defined under sub-regulation (d), or an Indian Bank as defined under sub-regulation (f), or both, that intends to, or has set up a Banking Unit or Representative Office or Regional Administrative Office;
5. In the Principal Regulations, after clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clause shall be inserted, namely,—

“(la) “Representative Office” or “RO” means a financial institution set up by its Parent Bank in IFSC for undertaking any one or more of the following activities, namely:

- (i) marketing of financial products;
- (ii) collection of data;
- (iii) carrying out of outreach operations.”

6. In the Principal Regulations, after clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clause shall be inserted, namely,—

“(oa) “Support services” shall mean the ancillary activities and processes required for execution of the permitted activities”

7. In the Principal Regulations, sub regulation 9 of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:

“(9) A Parent Bank may set up its Representative Office or Global Administrative Office in IFSC under a suitable mechanism, subject to such conditions as may be specified by the Authority.”

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./152/2022-23]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 on 20th November 2020, to be read with the Corrigendum published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. CG-MH-E-12052021-226980, on 12th May, 2021;
2. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG009 on 25th March, 2021; and
3. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG013 on 05th July, 2021.